

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 2332 / 14

संस्थापन दिनांक : 30.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामनिवास पुत्र बंटीसिंह यादव उम्र 18 साल
निवासी वार्ड नं03 लोहारपुरा कस्बा मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.12.13 को 10:30 बजे रूपावई के पुल के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टैक्टर 575 डी.आई. चैसिस नंबर केकेबीबी00202 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.13 को फरियादी संतोष अ0सा01 टाटा सफारी वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.डी.5000 जो सज्जनसिंह की थी, को चलाकर मौ से स्यादा जा रहा था जब वह रूपावई पुल के पास पहुंचा तो सामने से रेत का भरा हुआ टैक्टर महिन्द्रा लाल रंग का तेजी व लापरवाही से आरोपी चलाता हुआ आया और उक्त सफारी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे आगे का शो भाग गाड़ी का टूट गया। तत्पश्चात फरियादी संतोष यादव अ0सा01 ने थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 293/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया

गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 19.12.13 को 10:30 बजे रूपावई के पुल के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टैक्टर 575 डी.आई. चेसिस नंबर केकेबीबी00202 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. संतोष यादव अ0सा01 ने कथन किया है कि वह सज्जनसिंह यादव की गाड़ी सुबह 8 से रात्रि 7-8 बजे तक चलाता है लेकिन उसे घटना की जानकारी नहीं है। वह आरोपी रामनिवास को भी नहीं जानता है। सज्जनसिंह के पास जाने पर उससे पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे एफआईआर प्र0पी-1 व नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन उसके सामने कोई लिखापट्टी नहीं हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी द गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 19.12.13 को रात्रि 10:30 बजे वह सफारी गाड़ी क्रमांक एम0पी0-07-सी.डी.5000 को चलाकर मौ से स्योंढा जा रहा था तब रूपावई पुल के पास सामने से आ रहे महिन्द्रा टैक्टर 575 डी.आई. को आरोपी ने तेजी व लापरवाही से चलाया और उसकी सफारी गाड़ी में टक्कर मार दी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने स्वयं के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र0पी-4 भी बनाये जाने से इंकार किया है।
6. भैयालाल अ0सा02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.12.13 को थाना मौ में ए.एस.आई. के पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाने के अप0क0 293/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी संतोष अ0सा01 की निशादेही पर घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटनास्थल से एक महिन्द्रा टैक्टर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी संतोष अ0सा01 और सज्जनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे। उक्त दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से लाइसेन्स जप्त किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-6 व जप्ती पत्रक प्र0पी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी की सफारी गाड़ी का नुकसानी पंचनामा प्र0पी-7 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि नक्शामौका प्र0पी-2 बनाते समय केवल संतोष अ0सा01 को बुलाकर हस्ताक्षर कराये थे। जबकि संतोष अ0सा01 ने नक्शामौका प्र0पी-2 बनाये जाने से इंकार किया है।
7. प्रकरण में फरियादी संतोष अ0सा01 ही एक मात्र घटना का प्रत्यक्ष साक्षी विवेचना के अनुसार उल्लिखित है। लेकिन फरियादी संतोष अ0सा01 ने स्पष्ट इंकार किया है कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई थी अथवा आरोपी ने उपेक्षापूर्वक वाहन को परिचालित किया तथा उसके वाहन में टक्कर मारी। विवेचक भैयालाल अ0सा02 ने विवेचना के संबंध में साक्ष्य दी है लेकिन प्रत्यक्ष साक्षी ने ही फरियादी होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है जिसके

परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 19.12.13 को 10:30 बजे रूपावई के पुल के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टैक्टर 575 डी.आई. चेसिस नंबर केकेबीबी00202 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

8. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्त टैक्टर आवेदक बट्टीसिंह यादव की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0